निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 293) पटना, वृहस्पतिवार, 19 फरवरी 2015

सं0 भ0/मु0अ0(द0)यो0विविध-8-671/13—7485(भ0)

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

17 जुलाई 2014

विषयः-पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गांघी मैदान के आवंटन एवं रख-रखाव हेतु सोसाइटी का गठन तथा उसके आदर्श उपविधि (बायलॉज) एवं संगम ज्ञापन का निर्धारण।

1. वर्त्तमान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना का आवंटन एवं रख-रखाव श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाँधी मैदान, पटना का विभिन्न व्यवसायिक, गैर-व्यवसायिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं सरकारी कार्यक्रमों हेतु आरक्षण/आवंटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की देख-रेख में जिला स्तर से किया जाता है। इसके आरक्षण/आवंटन से प्राप्त राजस्व चालान के माध्यम से सरकारी कोष/खजाने में जमा होता है, फलतः इसके रख-रखाव एवं विकास हेतु राशि की उपलब्धता नहीं रहती है। इसके आधारभूत संरचना का विकास समय-समय पर भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता रहा है, जिससे इसका वर्त्तमान स्वरूप है।

2. राजधानी के प्रतीकात्मक स्मारकीय भवन तथा ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान के समुचित रख-रखाव, आधारभूत संरचना के विकास एवं आधुनिकीकरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटन/आरक्षण तथा उक्त अवसरों पर सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के स्थायी कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा गठित आदर्श उपविधि (बायलॉज) एवं संगम ज्ञापन (यथा संलग्न परिशिष्ट-''क'' एवं ''ख'') पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 17.06.2014 की बैठक में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान के आवंटन, रख-रखाव तथा सुरक्षा हेतु यथा संलग्न परिशिष्ट ''ग'' के अनुसार श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति का गठन किया जाता है।

4. गठित आदर्श उपविधि (बायलॉज) एवं संगम ज्ञापन इस संकल्प के अभिन्न अंग होंगे, जिसके प्रावधानों के आलोक में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान, पटना के आवंटन, रख-रखाव एवं सुरक्षा-व्यवस्था इत्यादि का कार्य कराया जाएगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चंचल कुमार,
सरकार के सचिव।

दिनांक 14.11.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही:-

गाँधी मैदान एवं एस०के०मेमोरियल हॉल, पटना का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, व्यवसायिक उपयोग, राजनैतिक सभा एवं धार्मिक कार्यक्रमों इत्यादि के लिए किया जाता है। अत: इसके समुचित देखभाल एवं रख-रखाव के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि रख-रखाव करने हेतु ठोस कदम उठाया जा सके।

बैठक में गाँधी मैदान, पटना एवं एस०के०मेमोरियल हॉल के आवंटन एवं रख-रखाव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. भवन निर्माण विभाग द्वारा निबंधित सोसाईटी बनाई जाये जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना होंगे। इसके अतिरिक्त इस समिति में जिला पदाधिकारी, पटना वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के अलावे अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। भवन निर्माण विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।
2. भवन निर्माण विभाग द्वारा एस०के०मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान, पटना, के रख-रखाव के लिए अलग से गैर योजना मद में बजट उप शीर्ष खोला जाएगा।
3. बिजली एवं अन्य संबंधित कार्य के लिए विस्तृत प्रतिवेदन जिला प्रशासन तैयार कर समिति बनने के बाद उसे उपलब्ध करायेगी। समिति उक्त प्रतिवेदन पर प्रशासनिक विभाग, भवन निर्माण विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर सकेगी।
4. रैली के एक-दो दिन पहले गाँधी मैदान के सभी गेटो को बन्द कर दिया जाये तथा गाँधी मैदान में रैली के प्रवेश के लिए समय का निर्धारण लिया जाये।
5. भीड़ के अनुसार यूजर चार्ज लिया जाये। साथ ही ध्यान रखा जाये कि गाँधी मैदान के अंदर अवस्थित वृक्ष एवं झाड़ी को भीड़ से कोई नुकसान नहीं हो।
6. सुरक्षा से संबंधित सभी कार्यो के लिए गृह विभाग विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगी।
7. गाँधी मैदान में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था नगर विकास विभाग सुनिश्चित करेगी।

बैठक के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

गाँधी मैदान, पटना की वर्त्तमान व्यवस्था के साथ-साथ इसके बेहतर रख-रखाव एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं सुझाव:-

गाँधी मैदान का उपयोग:-

वर्त्तमान में गाँधी मैदान का उपयोग राजनैतिक सभा, धार्मिक कार्यक्रमों, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, व्यवसायिक उपयोग एवं अन्य प्रकाश के बड़े कार्यक्रमों/पुस्तक मेला के अतिरिक्त प्रात: एवं संध्या काल में आमजन के द्वारा टहलने, खेलकूद संबंधी गतिविधियों इत्यादि में किया जाता है। गाँधी मैदान में किसी भी समय एवं किसी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक/जाँच इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। फलत: इसमें जानवरों का प्रवेश, कपड़ा सुखाने का कार्य, भेण्डरों इत्यादि का प्रवेश किसी भी समय होता रहता है।

वर्त्तमान व्यवस्था:-

वर्त्तमान में गाँधी मैदान के आरक्षण की व्यवस्था समाहरणालय, पटना के द्वारा की जाती है। सामान्यत: इसका आरक्षण राजनैतिक सभाओं, धार्मिक कार्यक्रमों, व्यवसायिक कार्यक्रमों एवं विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों हेतु पूर्व से निर्धारित दर के अनुसार किया जाता है।

वर्त्तमान व्यवस्था से संबंधित अन्य तथ्य बिन्दुवार निम्न है:-

- गाँधी मैदान के आरक्षण से प्राप्त राशि सीधे चालान के माध्यम से राजस्व शीर्ष ''0029'' में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार गाँधी मैदान के रख-रखाव में आरक्षण से प्राप्त राशि का किसी भी प्रकार से उपयोग जिला स्तर से नही होता है।
- गाँधी मैदान के विकास से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का निर्माण समय-समय पर भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।
- किसी बड़े अथवा महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के समय इसकी साफ-सफाई पटना नगर निगम, पटना के द्वारा कराया जाता है।
- कार्यक्रमों के अवसर पर सुरक्षा हेतु आवश्यक दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाती है।
- रात्रि में रौशनी की व्यवस्था हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित हाई मास्ट लाईट लगाया गया है। साथ-साथ स्टेट बैक ऑफ इंडिया की ओर से एक हाई मास्ट लाईट लगा हुआ है। रौशनी की वर्त्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग द्वारा और भी लाईट्स की व्यवस्था की जा रही है परन्तु विधिवत विद्युत विभाग से नहीं लिया गया है जिसके कारण विद्युत विपत्र के भुगतान की न तो कोई व्यवस्था है और न ही इस हेतु किसी राशि का प्रावधान है। इस कारण मैदान में रौशनी की व्यवस्था सुनिश्चित है, नही कहा जा सकता है। इस प्रकार गाँधी मैदान एवं इसमें निर्मित आधारभूत संरचनाओं के देख-रेख, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप इसके विकास की कोई ठोस व्यवस्था वर्त्तमान में नहीं है। इस कारण कई प्रकार की समस्याए उत्पन्न होती है जिससे इसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अवसर पर सुरक्षाकी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में काफी कठिनाई है। इसी प्रकार इसकी साफ-सफाई के साथ-साथ इसमें निर्मित संरचनाओं का देख-रेख भी नही हो पाता है इसमें लगे घास की कटाई तक नही हो पाती है, जो सुन्दरता के साथ-साथ सुरक्षा के कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाँधी मैदान एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ-साथ काफी जनोंपयोगी मैदान है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके उपयोग एवं हाल में बम विस्फोट की घटित-घटना को देखते हुए इसके रख-रखाव, सुरक्षा एवं विकास हेतु एक ठोस एवं व्यापक योजना की आवश्यकता है एवं इस हेतु विन्दुवार सुझाव निम्न है:-

रख-रखाव की व्यवस्था:-

- गाँधी मैदान के विकास एवं रख-रखाव इत्यादि हेतु एक समिति का गठन स्वतंत्र रूप से श्रीकृष्ण स्मारक भवन समिति के अनुरूप किया जा सकता है अथवा श्रीकृष्ण स्मारक भवन समिति जो आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना की अध्यक्षता में गठित है, के साथ ही इसे सम्बद्ध कर इसके रख-रखाव इत्यादि की जिम्मेवारी दी जा सकती है।
- गाँधी मैदान के आवंटन/आरक्षण की प्रक्रिया, आरक्षण हेतु दर निर्धारण का कार्य उक्त समिति द्वारा किया जा सकता है। वर्त्तमान में गाँधी मैदान के विभिन्न उपयोग हेतु आरक्षण का दर काफी कम है

एवं इसके पुनरीक्षण का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को है, जिसमें काफी विलम्ब होता है।

- आरक्षण से प्राप्त होने वाली आय से गाँधी मैदान के विकास, उसकी सुरक्षा, साफ-सफाई एवं रख-रखाव से संबंधित अन्य व्यवस्था समिति के माध्यम से आउटसोर्शिग के द्वारा किया जा सकता है। समिति को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार अपेक्षित है।
- गाँधी मैदान का आवंटन समिति द्वारा इस शर्त के साथ लेना चाहिए कि आयोजनकर्त्ता कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात पोल इत्यादि गाड़ने हेतु किये गये गड्ढ़ों को भर कर एवं मैदान की साफ-सफाई कराकर वापस करेगे अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई ''सिक्युरिटी की राशि'' जप्त हो जायेगी। अर्थात् जिस हालत में गाँधी मैदान उपयोग हेतु प्राप्त करेगें उसी हालत में वापस करेगें। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर उनके ''सिक्युरिटी की राशि'' को वापस किया जाना उचित होगा।
- इनके साफ-सफाई एवं घास कटाई की व्यवस्था आउटसोर्शिग के माध्यम से कराई जा सकती है।
- गाँधी मैदान का आवंटन समय-समय पर वाहनों के पार्किग हेतु भी किया जाता है, इस मामले में भी निर्णय एवं दर निर्धारण हेतु समिति ही अधिकृत होगी।

सुरक्षा व्यवस्थाः-

- गाँधी मैदान के चहारदिवारी के रेलिंग के उपर ''स्पाईरल अथवा T अकार'' का कंटीला तार लगाना।
- गाँधी मैदान का गेट प्रातः 04:00 बजे खुले एवं संध्या 07:00 बजे बन्द किया जाय।
- गाँधी मैदान के बाहर फुटपाथ पर बने अवैध झोपड़ी/अतिक्रमण को तुरंत हटाना।
- गाँधी मैदान के प्रत्येक गेट पर पुलिस पिकेट की स्थापना के साथ-साथ पूरे मैदान हेतु एक नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया जाय।
- आउटसोर्शिग के माध्यम से प्राईवेट सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना।
- गाँधी मैदान को चार सेक्टर में बांटते हुए सी०सी०टी०वी० लगाया जाय एवं यहाँ स्थापित होने वाले नियंत्रण कक्ष से इसे नियंत्रित करना।
- सामान्यतः गाँधी मैदान के छोटे द्वारों को ही प्रवेश हेतु खुला रखा जाना, वह भी सीमित संख्या में। किसी कार्यक्रम के अवसर पर ही आवश्यकतानुरूप बड़े प्रवेश द्वारों का उपयोग किया जाना।
- गाँधी मैदान के सभी गेट पर किसी कार्यक्रम के अवसर पर प्रवेश के समय डी०एफ०एम०डी० का उपयोग।
- गाँधी मैदान के प्रत्येक छोटे गेट में अन्दर की ओर दोनों तरफ से दीवाल खड़ा कर एक पैसेज का निर्माण किया जाना ताकि प्रवेश करने वाले व्यक्ति पंक्तिबद्ध होकर प्रवेश करे एवं उनकी फ्रीस्किंग का कार्य अच्छे ढंग से हो सके।
- रैली के समय रात्रि में आयोजक को गाँधी मैदान का प्रभार नहीं सौपा जाय।
- कार्यक्रम/रैली के आयोजक के द्वारा कार्य में लगाये गये व्यक्तियों/मजदूरों को पहचान पत्र दिया जाना।
- गाँधी मैदान में उपस्थित व्यक्तियों की समय-समय पर औचक जाँच पुलिस द्वारा किया जाना ताकि इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक तत्वों/असामाजिक तत्वों पर बना रहे।

अन्य सुविधाऐं:-

- गाँधी मैदान में चारोओर बने पथ जिसका उपयोग मुख्यतः सुबह-शाम टहलने हेतु किया जाता है, के पास आमजन के हित में बागवानी की जा सकती है, इससे मैदान की सुन्दरता भी बढ़ेगी।
- गाँधी मैदान के आस-पास मैदान के बाहर दो-तीन स्थानों पर शौचालय पूर्व से बने हुए है, जिन्हें आमजन के उपयोग हेतु ठीक करा कर आउटसोर्शिग के द्वारा चलाया जा सकता है।
- कुछ व्यवसायिक कार्यक्रम जिनमें ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है अथवा गाँधी मैदान के रख-रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा डिजनी लैण्ड इत्यादि कार्यक्रमों हेतु मैदान का आवंटन नही किया जाना उचित होगा।

परिशिष्ट-''ख''

श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति का संगम-ज्ञापन

एवं

उपविधि।

श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति द्वारा संचालित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गांधी मैदान के आवंटन एवं रख-रखाव हेतु सोसाइटी का गठन एवं आदर्श उपविधि (बायलॉज) तथा उसका संगम ज्ञापन।

1. समिति का नाम ''श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति'' होगा।
2. समिति का रजिस्टर्ड कार्यालय श्री कृष्ण स्मारक भवन, गाँधी मैदान, जिला-पटना में अवस्थित होगा।
3. श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति निम्नलिखित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए गैर लाभकारी सोसाइटी के रूप में स्थापित की गयी है:-

   (क) समिति के जरिए बिहार में राष्ट्रीय/राजकीय स्तर का श्री कृष्ण स्मारक भवन, पटना; खुला एवं सुरक्षित मैदान (Open Ground) गाँधी मैदान, पटना की सुविधा प्रदान करना;

   (ख) समिति के जरिए खेलकूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करनेवाले कार्यक्रमों एवं जनहित के लिए गाँधी मैदान का आवंटन करना, निरीक्षण करना और उनके संचालन/रख-रखाव का अनुश्रवण करना;

   (ग) समिति के द्वारा उद्देश्यों के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ यथा आवश्यक समन्वय करना तथा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करना। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान, पटना में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की बुकिंग करना;

   (घ) गाँधी मैदान के विकास हेतु कार्यक्रम बनाना और उसे क्रियान्वित कराना;

   (ङ) गाँधी मैदान एवं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं यथा-बिजली, पानी, सुरक्षा, रख-रखाव एवं विकास सुनिश्चित करना;
4. श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की नियमावली के अधीन गठित समिति का शासी निकाय एक कानूनी निकाय होगा।
5. समिति की आय और सम्पति का उपयोग इस संगम-ज्ञापन में यथाविनिर्दिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को बढ़ावा देने में किया जायेगा। समिति की आय और सम्पत्ति का कोई अंश, लाभांश, बोनस या लाभ के रूप में या अन्यथा प्रत्यक्षत: या परोक्षत: ऐसे व्यक्तियों को, भुगतान या अंतरित नहीं किया जाएगा जो किसी समय सेंटर के सदस्य हों या रहे हों परन्तु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, समिति को दी गई किसी सेवा के बदले सद्भाव में पारिश्रमिक के भुगतान को नहीं रोकेगी।
6. समिति के क्रियाकलापों का प्रबंध, गाँधी मैदान एवं श्री कृष्ण स्मारक भवन, पटना की नियमावली के अनुसार, शासी निकाय को न्यस्त कर दिया जाएगा, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त, पटना तथा जिला पदाधिकारी, पटना क्रमश: अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे। शासी निकाय निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा:-

क्र0सं0	नाम	पेशा	पता	पद
1.	आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	आयुक्त कार्यालय, पटना	अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी, पटना	जिलाधिकारी का कार्यालय, पटना	सदस्य सचिव
3.	वरीय पुलिस अधीक्षक	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	वरीय आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, पटना	सदस्य
4.	आयुक्त	पटना नगर निगम, पटना	मौर्या लोक पटना नगर निगम कार्यालय, पटना	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, पटना	भवन निर्माण विभाग, पटना	विश्वेश्वरैया भवन, पटना	सदस्य
6.	कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना	पटना भवन प्रमंडल, पटना	पटना गया पथ लोदीपुर, पटना	सदस्य

7.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत, भवन निर्माण विभाग, पटना	विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल सं0–1, पटना	विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल सं0–1, पटना	सदस्य
8.	कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना पूर्वी, पटना	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना पूर्वी, पटना	सदस्य
9.	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग या उनके प्रतिनिधि	नगर विकास एवं आवास विभाग विकास भवन, पटना	नगर विकास एवं आवास विभाग विकास भवन, पटना	सदस्य

7. इसके अधीन उल्लिखित व्यक्ति समिति के प्रथम सदस्य होंगे। जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, सदस्यता इसके अधीन उल्लिखित कार्यालय-पदनामों के अनुसार निहित एवं अंतरित होगी। हमलोग अधोहस्ताक्षरी, जिनके नाम और पते इसके अधीन उल्लिखित हैं, इस संगम-ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसाईटी के रूप में गठित होने को इच्छुक हैं:-

क्र0सं0	**नाम**	**पेशा**	**पता**	**पद**
1.	आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	आयुक्त कार्यालय, पटना	अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी, पटना	जिलाधिकारी का कार्यालय, पटना	सदस्य सचिव
3.	वरीय पुलिस अधीक्षक	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पटना	सदस्य
4.	आयुक्त	पटना नगर निगम, पटना	मौर्या लोक पटना नगर निगम कार्यालय, पटना	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, पटना	भवन निर्माण विभाग, पटना	विश्वेश्वरैया भवन, पटना	सदस्य
6.	कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना	पटना भवन प्रमंडल, पटना	पटना गया पथ लोदीपुर, पटना	सदस्य
7.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत, भवन निर्माण विभाग, पटना	विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल संख्या–1, पटना	विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल संख्या–1, पटना	सदस्य
8.	कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0टी0	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना पूर्वी, पटना	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना पूर्वी, पटना	सदस्य
9.	सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग या उनके प्रतिनिधि	नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, पटना	नगर विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, पटना	सदस्य

हमलोग, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करते हैं कि हमलोग उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को जानते हैं और उन्होंने हमारी उपस्थित में हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर

(नाम, पेशा एवं पूरा पता)

सदस्य सचिव

हस्ताक्षर

(नाम, पेशा एवं पूरा पता)

अध्यक्ष

परिशिष्ट–''ग''

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860)

अधिनियम, XXXI,1860) के अधीन समिति की उपविधि।

1. **समिति का नाम** – सोसाइटी का नाम ''श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति'' होगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** – सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय श्री कृष्ण स्मारक भवन, पटना में अवस्थित होगा।

3. **निर्वाचन** – इस उपविधि में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना;

(ख) 'केन्द्रीय सरकार' से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(ग) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(घ) 'शासी निकाय' से अभिप्रेत है संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 4 के अधीन गठित समिति का कानूनी निकाय ;

(ङ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है शासी निकाय का अध्यक्ष ;

(च) 'सदस्य' से अभिप्रेत है शासी निकाय के सदस्य ;

(छ) 'पद धारकों' से अभिप्रेत है अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्य ;

(ज) 'वर्ष' से अभिप्रेत है पहली अप्रैल से इकतीस मार्च ;

(झ) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860

(ञ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के अध्यक्ष जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो ।

4. **सदस्यता**– (1) गाँधी मैदान, पटना का सामान्य निकाय निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा:–

1. पदधारण करने के कारण ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्त्ता ;
2. संस्थान के उद्देश्यों का समर्थन करनेवाले तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित/ नामित व्यक्तियों, संगठनों, कार्पोरेट निकायों/व्यक्ति–समूहों के लिए सदस्यता खुली रहेगी ;
3. जिन व्यक्तियों ने संगम–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हों वे अपने पदाधिकारी होने के कारण समिति के प्रथम सदस्य होंगे ;

(2) जब कोई व्यक्ति अपना पद धारण करने के कारण श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति का सदस्य नियुक्त या नामित होता है तो श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की उसकी सदस्यता, उसके उस पद पर नहीं रह जाने पर समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार हुई रिक्ति को उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

(3) जब कभी कोई नामित सदस्य श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र सदस्य सचिव को संबंधित करेगा और उसे समर्पित करेगा। उसका त्यागपत्र केवल श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किये जाने पर स्वीकृत होगा।

(4) त्यागपत्र से या अन्यथा हुई श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की सदस्यता की रिक्ति/रिक्तियों को शासी निकाय द्वारा नियुक्ति या मनोनयन से भरा जाएगा।

(5) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति इस बात के होते हुए भी कि कोई व्यक्ति अपने पद के कारण सदस्यता का हकदार है, तत्समय समिति में अभ्यावेदन नहीं दिया है, कृत्य करेगा। श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की कार्यवाही को, उपर्युक्त कारण से या किसी सदस्य की रिक्ति या इसके किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी त्रुटि के कारण, रद्द नहीं किया जा सकेगा।

(6) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति अपने पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों की एक नामावली का संधारण करेगा और प्रत्येक सदस्य उसमें अपना हस्ताक्षर करेगा और अपना व्यवसाय एवं पता लिखेगा।

(7) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के किसी सदस्य के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह अपने पता व्यवसाय में किसी परिवर्तन से संबंधित सूचना सदस्य–सचिव को दें।

(8) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति सदस्यता पंजी में निम्नलिखित विशिष्टियाँ दर्ज करेगा:–

(i) प्रत्येक सदस्य का नाम एवं पता

(ii) वह तिथि, जिस तिथि को सदस्यता स्वीकृत की गई।

(iii) वह तिथि, जिस तिथि को वह सदस्य न रह गया हो।

(9) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति या शासी निकाय का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि-

(i) वह विकृत चित का हो जाए अथवा

(ii) वह दिवालिया हो जाय, अथवा

(iii) वह नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त अथवा दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो, अथवा

(iv) राज्य सरकार में पद धारण करनेवाले सदस्यों की दशा में, राज्य सरकार ने निकाल दिया हो।

5. **शासी निकाय** - श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति का एक शासी निकाय होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. आयुक्त, पटना प्रमंडल	-	अध्यक्ष
2. जिला पदाधिकारी, पटना	-	सदस्य सचिव
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	-	सदस्य
4. आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना	-	सदस्य
5. मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना	-	सदस्य
6. कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना	-	सदस्य
7. कार्यपालक अभियंता, विद्युत, कार्य प्राक्कलन प्रमंडल सं0-1 पटना	-	सदस्य
8. कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, पटना	-	सदस्य
9. सचिव, नगर विकास विभाग या उनके प्रतिनिधि, पटना	-	सदस्य

6. **शासी निकाय की शक्तियाँ और कृत्य**- विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती उपबंधों की व्यापकता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले समिति के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शासी निकाय निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:-

(क) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति को स्थापित करने तथा बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करना तथा निष्पादित करना और ऐसे संस्थापन के पश्चात्, इसका प्रशासन एवं प्रबंधन करना। समिति स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं गाँधी मैदान की बुकिंग करना। समिति का रखरखाव सरकार द्वारा निर्धारित एजेन्सी के मार्फत सुनिश्चित करना;

(ख) अनुदान और अंशदान प्राप्त करना और संस्थान के कोषों की अभिरक्षा करना;

(ग) प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण स्मारक भवन एवं गाँधी मैदान, पटना का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा। और बजट सीमाओं के अधीन व्यय को स्वीकृति प्रदान करना;

(घ) श्री कृष्ण स्मारक की विकास समिति द्वारा प्रदान की गयी किसी सेवा के लिए शासी निकाय द्वारा यथा विहित फीस तथा अन्य परिव्ययों की मांग, प्राप्ति तथा वसूली करना;

(ङ) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के किसी उद्देश्य के प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सेवा के बदले मानदेय, पारिश्रमिक, फीस, परिव्यय का भुगतान करना;

(च) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के अधीन शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी, मंत्रिमंडलीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;

(छ) शासी निकाय के किसी पदाधिकारी या कार्यपालक समिति को यथावश्यक अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना;

(ज) श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा वित्तीय प्राक्कलन पर, जिसे उचित समझे, विचार करना और संकल्प पारित करना;

(झ) निम्नलिखित के लिए उप विधि को, समय-समय पर, निर्मित, अंगीकृत, परिवर्तित, रूपान्तरित और रद्द करना:-

(i) शासी निकाय तथा इसके द्वारा नियुक्त की जानेवाली समिति के कार्यों का संचालन करना;

(ii) अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना;

(iii) कोरम पूरा करना;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, सौंपे गये ऐसे अतिरिक्त कृत्यों का अनुपालन करना तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करना;

(ट) शासी निकाय अपने कार्यो के संचालन हेतु, अपनी ऐसी शक्तियों को, संकल्प द्वारा, कार्यपालक समिति, अध्यक्ष और/या सदस्य-सचिव और कोषाध्यक्ष को प्रत्यायोजित करेगा जिसे आवश्यक एवं वांछनीय समझें।

(ठ) शासी निकाय की बैठक के लिए 4 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

7. **कार्यपालक समिति:**- कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	जिला पदाधिकारी, पटना	-	अध्यक्ष
2.	वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना	-	सदस्य
3.	पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना	-	सदस्य
4.	आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना	-	सदस्य
5.	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, पटना	-	सदस्य सचिव
6.	कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना	-	सदस्य
7.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत, ऊर्जा विभाग, पटना	-	सदस्य
8.	कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, पटना	-	सदस्य
9.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्राक्कलन प्रमंडल, पटना	-	सदस्य

8. **कार्यपालक समिति की शक्तियाँ और कृत्य ।**-

(1) कार्यपालक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिसे शासी निकाय द्वारा, समय-समय पर इसको प्रत्यायोजित किया जायेगा।

(2) कार्यपालक समिति की बैठकों की कार्यवाही कार्यपालक समिति की अगली बैठक में इसके सदस्यों के सूचनार्थ रखाी जाएगी।

(3) कार्यपालक समिति की बैठक साधारणत: तीन महीने में एक बार होगी और इसमें कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

(4) कार्यपालक समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्य कोषाध्यक्ष इसके पदधारक होंगे।

(5) कार्यपालक समिति के अध्यक्ष कार्यपालक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के उपस्थित सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे और ऐसे अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता और अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(6) अध्यक्ष श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के मुख्य कार्यपालक पदधिकारी होंगे और समिति के सभी कार्यपालक कार्यो का निष्पादन शासी निकाय द्वारा स्थापित नीतियों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार करेंगे।

9. **अध्यक्ष** - जिलाधिकारी, पटना जो शासी निकाय के सदस्य सचिव होंगे, कार्यपालक समिति के अध्यक्ष भी होंगे।

10. **शासी निकाय की बैठक ।**- **(1)** सामान्यत: शासी निकाय की बैठक छ: माह में एक बार होगी बशर्ते कि अध्यक्ष स्वयं स्वप्रेरणा से या शासी निकाय के कम से कम चार सदस्यों की अध्यपेक्षा पर, उसे किसी समय, जब बैठक बुलाना हो, आहूत करने की जरूरत समझें और ऐसा करना आवश्यक होगा। शासी निकाय की प्रत्येक बैठक के लिए सात से कम दिनों की सूचना नहीं दी जाएगी और बैठक के पश्चात्, बिना किसी अनावश्यक बिलम्ब के, बैठक की कार्यवाही की प्रति शासी निकाय के सदस्यों तथा राज्य सरकार को परिचारित की जाएगी।

(2) शासी निकाय की किसी बैठक की गणपूर्त्ति, शासी निकाय के चार सदस्यों की, (अध्यक्ष सहित), इसमें से जो कम हो, उपस्थिति से होगी। गणपूर्त्ति के अभाव में यदि बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान पर आयोजित होगी।

(3) सदस्यों के बीच मदभेद की स्थिति में, बहुमत अभिभावी होगा।

(4) अध्यक्ष सहित, शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और शासी निकाय द्वारा निश्चित किये जानेवाले किसी प्रश्न पर मतों की संख्या समान होने की स्थिति मे, अध्यक्ष को एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक में उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य को उस बैठक के लिए अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

11. **शासी निकाय के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव की शक्तियाँ और कृत्य।**-

(1) अध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शासी निकाय, का सदस्य नहीं हो, शासी निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसे आमंत्रित सदस्यों को बैठक में मतदान करने का हक नहीं होगा।

(2) शासी निकाय की उप-विधि तथा आदेशों के अधीन समिति का सदस्य-सचिव, शासी निकाय के निदेशों एवं नियंत्रण के अधीन रहेत हुए संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए और कार्यो के संचालन हेतु उत्तरदायी होगा। वह समिति के लिए और समिति की ओर से समझौता करेगा।

12. **अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य ।-(1)** अध्यक्ष, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति की ओर से कमरा/ ऑडिटोरियम/ हॉल/गाँधी मैदान आवंटन/आरक्षण करेगा, ऋण, अनुदान और चंदा प्राप्त करेगा तथा लेखा-पुस्त रखेगा।

(2) वह शासी निकाय द्वारा चयनित तथा अनुमोदित किये गये लेखा परीक्षक से खातों का लेखा परीक्षण कराने तथा उसे समिति के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होगा।

(3) वह प्रत्येक चेक या ड्राफ्ट पर हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक होगा।

13. **सदस्यों का वार्षिक अधिवेशन ।- (1)** संस्थान प्रत्येक वर्ष कम से कम एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगा और पश्चातवर्त्ती दो वार्षिक अधिवेशनों के बीच 15 महीनों से अधिक समय का अंतराल नही होगा।

(2) तुलन-पत्र, आय-व्यय का लेखा, लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन तथा वार्षिक- प्रगति प्रतिवेदन समिति के वार्षिक अधिवेशन में विचारार्थ रखे जाएँगे।

14. **नियम/विनियम बनाने की शक्ति ।**- शासी निकाय श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के उद्देश्य एवं हेतु को क्रियान्वित करने के लिए नियम/विनियम बना सकेगा।

15. **संस्थान की निधि ।- (1)** श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति निधि नामक एक निधि स्थापित की जायेगी जो संस्थान में निहित होगी तथा निम्नलिखित उसी में जमा की जायेगी:-

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संस्थान को दिया गया कोई धन;

(ख) समिति द्वारा कमरा/ऑडिटोरियम एवं गाँधी मैदान, पटना आदि के आवंटन से प्राप्त की गई राशि;

(ग) अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अंतरण के माध्यम से सेंटर के लिए प्राप्त किया गया समस्त धन;

(घ) समिति के किसी धन से संबंधित किसी लेन-देन से उत्पन्न समस्त लाभ और ब्याज;

(ङ) किसी अन्य श्रोत से अथवा किसी अन्य रीति से समिति द्वारा प्राप्त किया गया समस्त धन।

(2) निधि में जमा समस्त धन, राज्य सरकार की सहमति से, उस रीति से, जमा या निवेशित किया जाएगा, शासी निकाय द्वारा निश्चित की जाय।

(3) इस उपविधि के अधीन समिति की शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय को पूरा करने में निधि का उपयोग किया जाएगा।

16. **बैंक संचालन ।**- श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति का बैंक खाता भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर में संस्थान के नाम से रखा जाएगा एवं कार्यपालक समिति के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत सदस्यों में से किन्हीं दो पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से

संचालित किया जाएगा, किंतु समिति के बैंक खाता के संचालन के लिए सदस्य-सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

17. **लेखा एवं लेखा परीक्षा ।**- (1) राज्य सरकार द्वारा, इस निमित बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन, समिति की लेखा की पावती-रसीद एवं व्यय, शासी निकाय द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित फार्म में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, संधारित किया जाएगा।

(2) शासी निकाय अपने वार्षिक-लेखा के समापन के यथाशीघ्र पश्चात् सभी लेखा वार्षिक-विवरणी राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथाविहित फार्म में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार, बिहार के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा यथाविनिश्चित तिथि तक, महालेखाकार, बिहार को अग्रसारित करेगा।

(3) समिति लेखा की लेखा परीक्षा महालेखाकार, बिहार या उनके द्वारा नियुक्त पैनल से नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा या शासी निकाय लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से उठने वाले विषयों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(4) शासी निकाय समिति के वार्षिक लेखा, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

18. **उपविधि का संशोधन ।**- श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के किसी सामान्य बैठक में, जो सम्यक रूप से इसे प्रयोजनार्थ आयोजित की गयी हो, समिति के अधिकांश उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मतदान द्वारा, संकल्प द्वारा पारित करके, किसी भी समय समिति की उपविधि को संशोधन किया जा सकेगा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपांतरित उपविधि प्रवृत समझी जायेगी।

19. **राज्य सरकार का निदेश ।**- इस उपविधि के किसी अनुच्छेद में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, समय-समय पर, नीतिगत निदेश निर्गत कर सकेगी, जो समिति पर बाध्यकारी होगा।

20. भवन निर्माण विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।

21. रजिस्ट्रार, निबंधन, बिहार, पटना को सोसाइटी के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और उनके परामर्श का अनुपालन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

22. राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही किसी पद का सृजन सोसाइटी द्वारा किया जा सकेगा।

23. **विघटन ।**- श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति अपनी बैठक में सामान्य निकाय के सदस्यों के मतदान द्वारा सामान्य निकाय के दो-तिहाई बहुमत से समिति को विघटित किया जा सकेगा।

(क) समिति के विघटन के पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) विघटन के पश्चात्, यदि सभी ऋणों, दायित्वों को चुकाने के बाद, कोई चल या अचल संपत्ति शेष रह जाती है, तो इस प्रकार अवशिष्ट सम्पत्ति का भुगतान या संवितरण सोसाइटी के सदस्यों के बीच नहीं किया जायेगा। सरकार के निर्णय के अनुरूप समिति या विभाग में अवशिष्ट सम्पत्ति निहित (vest) हो जायेगी।

सदस्य **सदस्य सचिव** **अध्यक्ष**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 293-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in